INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

IN-UP01239284159195V

ACC Name-Mohammad Karim
ACC Code-U.P. 14193404
ACC Address Civil Line Patti
Mobile 9838008263 License No.
Tehsil Patti District Pratapgarh

₹100

Certificate No.	:	IN-UP01239284159195V
Certificate Issued Date	:	29-Aug-2023 06:42 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14193404/ PATTI/ UP-PTG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14193404980516040986 37V
Purchased by	:	R R MAHAVIDYALAYA BAIJALPUR AMARGARH PRATAPGARH
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	R R MAHAVIDYALAYA BAIJALPUR AMARGARH PRATAPGARH
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	R R MAHAVIDYALAYA BAIJALPUR AMARGARH PRATAPGARH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते

NOTARIAL NOTARIAL

₹100

IN-UP01239284159195V

Please write or type below this line

हम शशिकांत यादव एवं पंकज यादव क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव रमराजी रामदेव यादव पब्लिक ट्रस्ट शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं कि -

1. यह कि हमारी ट्रस्ट द्वारा आर. आर. महाविद्यालय नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी ट्रस्ट के नाम रमराजी रामदेव यादव पब्लिक ट्रस्ट बैजलपुर अमरगढ़ प्रतापगढ़ में गाटा संख्या 1220,1221,1222,1223 एवं रकबा *क्रमशः* 0.683,0.066,0.074,0.022. हेक्टेयर एवं कुल रकबा 0.845 हेक्टेयर भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

1/9/23

1/9/23

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

4. यह कि उपरोक्त पते पर कालेज के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 1220,1221,1222,1223 एवं रकबा क्रमशः 0.683,0.066,0.074,0.022. हेक्टेयर एवं कुल रकबा 0.845 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 03/08/2022 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है ।

6.यह कि. निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता / करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह० सचिव

ह० अध्यक्ष